न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आर.ए.एस.

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मृगेन्द्रसिंह भाटी पुत्र स्व.श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, जाति राजपूत, निवासी देवीसागर कृषि फार्म, भिचडली, जोधपुर		1. कमला भल्ला पुत्री श्री एम.एल.भल्ला, निवासी डब्ल्यू जेड–8, तिलक नगर, दिल्ली। 2. श्रेयांश डागा पुत्र हुकमचंद डागा, निवासी 31, शास्त्रीनगर, जोधपुर। 3. अभिनव कुम्भट पुत्र श्री गौतम कुम्भट, निवासी लाल बंगला, राईकाबाग, जोधपुर। 4. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव जोधपुर। 5. तहसीलदार, जोधपुर।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 75 एल.आर.एक्ट बाबत रेस्टोर करने राजस्व अपील संख्या 74/2012 मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम कमला भल्ला, जो दिनांक 18.07.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई।

– – –

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मोती सिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार।
3. अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अभिभाषक श्री राजेश शर्मा।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मृगेन्द्रसिंह भाटी पुत्र स्व.श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, जाति राजपूत, निवासी देवीसागर कृषि फार्म, भिचडली, जोधपुर		1. कृष्ण काक पुत्र श्री कर्नल वी.एन.काक, निवासी एम.एल.ए. क्वाटर्स, जयपुर, हाल– सी/2/2002,वसंत कुंज, नई– दिल्ली। 2. सोहनराज सुराणा पुत्र श्री सोनराज सुराणा, निवासी ए–45, शास्त्रीनगर, जोधपुर। 3. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव जोधपुर। 4. तहसीलदार, जोधपुर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 75 एल.आर.एक्ट बाबत रेस्टोर करने राजस्व अपील संख्या 75/2012 मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम कृष्ण काक, जो दिनांक 18.07.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई।

— — —

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मोतीसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. दो की ओर से अभिभाषक श्री जी.एस.चम्पावत व श्री कुलदीपसिंह उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अभिभाषक श्री राजेश शर्मा।

:—: आ दे श :—: दिनांक : 22.06.2016

प्रार्थी अभिभाषक ने यह दोनों रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. सपठित धारा 75 एल.आर.एक्ट बाबत रेस्टोर करने राजस्व अपील सं. 74/2012 मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम कमला भल्ला व राजस्व अपील सं. 75/2012 मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम कृष्ण काक जो दिनांक 18.07.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है, के विरूद्ध पेश की है।

उक्त दोनों रेस्टोरेशन प्रकरणों में तथ्य मिलते—जुलते होने के कारण तथा पक्षकार भी लगभग कानूनी बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है निर्णय की एक—एक दोनों रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्रों में संलग्न की जावे।

संक्षेप में इन रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील आदेश तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 06.06.1972 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण 5 व 6 को निरस्त करने के विरूद्ध पेश की जो अपील संख्या क्रमशः 74/2012 व 75/2012 दर्ज की गई। तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर रेस्पोडेण्ट की तामिल हेतु नियत थी।

अपीलाण्ट की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार जोशी नियुक्त था एवं दिनेश कुमार जोशी अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट को यह आश्वस्त किया गया था कि जब भी आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी उस समय अपीलाण्ट को सूचित कर दिया जावेगा।

विचाराधीन अपीलें दिनांक 18.07.2014 को अपीलाण्ट की अपील उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। परन्तु अपीलाण्ट के अभिभाषक खारिजी के आदेश की कोई सूचना नही दी। इससे व्यथित होकर यह रेस्पोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह दोनो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण सं. 1/2016 अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से वकालतनामा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण सं. 02/2016 में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री गुलाबसिंह चम्पावत व कुलदीपसिंह वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। रेस्टोरेशन से संबंधित मूल अपील सं. 74/2012 व 75/2012 कार्यालय हाजा के रेकर्ड शाखा से तलब की गई, जो प्राप्त हो गई है। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत दोनो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1096/2013 विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 30.11.2015 को श्री श्रेयांश डागा द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर कथन किया गया कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपीले विचाराधीन थी, वह निस्तारित कर दी गई है एवं इसके साथ आदेशिका की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई। उक्त शपथ पत्र के पेश होने के पश्चात् अपीलाण्ट की अपील खारिजी के संबंध में जानकारी हुई।

प्रार्थी अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट ने पूर्व में नियुक्त वकील श्री दिनेश कुमार से सम्पर्क किया तो बताया कि किसी प्रकार की जानकारी से मना किया। उसके अपीलाण्ट ने विचार–विमर्श किया। उसके बाद यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि पूर्व वकील श्री दिनेश कुमार जोशी ने यह भी बताया कि जुलाई–2014 में उनके पिताजी के स्वास्थ्य ठीक नही होने के कारण वे अपने पैतृक गॉव में अपने पिताजी के स्वास्थ्य देखभाल के लिये गये हुए थे। करीब एक महीने भर वही रूके रहे। इस कारण अपीलाण्ट को सूचित भी नही कर पाये व नियत सुनवाई पर भी हाजिर नही हो सके। अपील सं. 74/2012 रेस्पोडेण्ट सं. एक की तामिली हेतु नियत थी और दिनांक 18.07.2014 को उक्त अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित कर दिया गया है।

प्रार्थी अभिभाषक वक्त बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त

1– आर.आर.टी.2013(1)पृष्ठ सं. 342
भगवानसिंह बनाम स्टेट

2– आर.आर.टी.2004(2)पृष्ठ सं. 1270
चुतराराम बनाम रणछोड़राम

3– आर.आर.टी.2014(1)पृष्ठ सं. 104
ज्ञानप्रकाश बनाम हॅसराज
4– आर.आर.टी.2014(2)पृष्ठ सं.1229
सत्यनारायण बनाम प्रद्युम्न वगैरा
5– आर.आर.टी.2012(1)पृष्ठ सं.440
नन्दलाल बनाम प्रभुलाल

की ओर दिलाकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी बाबत रेस्टोर करने एवं आदेश दिनांक 18.07.2014 को अपास्त किया जाकर मूल अपील सं. 74/2012 व 75/2012 प्रकरण में आगे सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र सं. 01/2016 के अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को उसके अभिभाषक को पेशी पर हाजिर रहकर न्यायालय के आदेश की पालना करनी चहिये। अपीलाण्ट स्वयं जोधपुर निवासी है एवं वे प्रायः प्रत्येक पेशी पर अपने वकील के साथ न्यायालय में उपस्थित होते है। उन्होने यह भी कथन किया कि दिनांक 18.07.2014 को उपरोक्त अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई। ओर माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को 09.08.2011 को आदेश दिया कि रेस्पोडेण्ट सं. एक की तामील हेतु समन पेश करे जो अपीलाण्ट द्वारा नही किया गया। इसके बाद अपीलाण्ट के अभिभाषक को न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. एक अपील की सुनवाई का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. भेजा जावे लेकिन इसकी भी पालना नही की गयी। इससे स्पष्ट है कि अपील को अपील चलाने में रूचि इस अपील को चलाने की नही थी, केवल अपील लम्बित रखना चाहते है।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 क अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि माननीय राजस्था उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी.स्पेशल अपील सं. 1096/2013 में रेस्पोडेण्ट द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया था। लेकिन अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के आदेश की पूर्ण जानकारी थी उन्होने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट पूर्व वकील से किस दिन मिला इसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख नही है। अपने अन्य अधिवक्ता श्री मोतीसिंह से भी किस तारीख को सम्पर्क किया इसका भी अंकन नही किया है। पूर्व अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी के पिता किस तारीख को बीमार हुए कब तक बीमार रहे। इसका कोई रोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया। अपीलार्थी ने वर्तमान प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्टोरेशन प्रकरण सं. 02/2016 में अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अभिभाषक श्री गुलाबसिंह चम्पावत ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या

06 के विरूद्ध अपील श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक 22.06.2011 को दर्ज की गई ओर रेस्पोडेण्ट की तामिल हेतु चल रही है और अपीलाण्ट स्वयं उक्त अनवान की अपील की तारीख पेशी पर हाजिर होता रहा। और अपीलाण्ट वकील प्रत्येक तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित हुए है। और रेस्टोरेशन इतनी देरी से पेश की है और देरी का जो कारण बताया गया है व मानने योग्य नही है। और रेस्टोरेशन लगभग 2 वर्ष के बाद देरीना से पेश किया गया है। उसका उचित कारण प्रत्येक दिन व प्रत्येक महिना व प्रत्येक वर्ष का अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नही किया गया है। और प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों तथा पूर्णतया मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दू पर ही खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट सं. 2 के योग्य अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट ने बताया कि उसकी अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी प्रथम ज्ञान से उच्च न्यायालय में पेश किये गये। डी.बी.स्पेशल अपील सं. 1096/2013 में दिनांक 30.11.2015 को श्री श्रेयांश डागा द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र पेश होने का आधार बताया जो गलत है जबकि अपीलाण्ट को इसकी जानकारी पूर्व में ही ज्ञान था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होना बताया।

अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अभिभाषक श्री चम्पावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का विरोध करते हुए लिखित में जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण नही बताया जो भी कारण बताये गये वह वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने का निवेदन किया। वक्त बहस के दौरान उन्होने न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2014 उच्चतम न्यायालय के पृष्ठ सं. 3032 एस.सी. में हुए निर्णय की ओर दिलाकर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अनुसार डिले पिरियड का प्रत्येक दिन, प्रत्येक माह व प्रत्येक वर्ष का कारण बताना आवश्यक है। जो प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट तौर पर नही बताया गया है। और वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत व प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थी दो अलग–अलग रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र बाबत इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील सं. 74/2012 मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम कमला भल्ला व राजस्व अपील सं. 75/2012 मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम कृष्ण काक निर्णय दिनांक 18.07.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में दोनों अपीले खारिज कर दी। पत्रावली पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी की ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दोनों रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में 05.01.2016 को प्रस्तुत किये जबकि राजस्व अपील सं. 74/2012 व 75/2012 को निर्णय दिनांक 18.07.2014 को किया। निर्णय अनुसार दोनो अपीले अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगभग 1 वर्ष और आठ माह बाद पेश किया है। जो धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्व अभिभाषक श्री दिनेश जोशी का शपथ पत्र भी पेश नही किया। उक्त प्रार्थना पत्र में देरी का कारण औचित्यपूर्ण नही है, औरन ही विलम्ब का कारण सुसंगत है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर ए.आई.आर. 2014 पृष्ठ सं. 3032 के निर्णय की नजीर इन दोनो प्रकरणों में लागू होती है। इस निर्णय अनुसार प्रार्थी को विलम्ब का कारण याने कि प्रत्येक दिन व प्रत्येक माह व प्रत्येक वर्ष का स्पष्ट कारण बताना होता है। लेकिन प्रार्थी ने जो विलम्ब का कारण बताया गया है। वह मानने योग्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है। निर्णय की एक–एक मूल प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22.06.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर